न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. :99 / 2024	तारीख रजू 11.11.2024	निर्णय दिनांक 18.11.2024

सरकार बनाम राजेन्द्र वगैरा

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का वाढकलां ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि राजेन्द्र, धारासिंह पुत्रान कमोद जाति गुर्जर निवासी मोतीपुर, गंगापुर सिटी ने ग्राम मोतीपुर के खसरा नं. 67 में रकबा 0.01 है0 किस्म बारानी 1 पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से तारबन्दी कर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायलान द्वारा उपस्थित होकर जबाव इस आशय पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिचार नहीं किया है।। प्रार्थियान द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में ही तारबन्दी की है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिचार नहीं करना अवगत कराया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध अतिचार किया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभय पक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 0.08/– की 50 गुना शास्ति 4/–रुपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर''घ'' के पेज संख्या ....
पर रुपये 4/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार